न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 60/2023 बउनवानी संजीव कुमार जैन बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0 कलेक्टर स0मा0
निवासी नेहा विला महावीर मार्ग, बौंली जिला सवाईमाधोपुर उपजिला कलेक्टर/तहसीलदार बौली
GCMS No-2023/129

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
8.11.2023	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर/उपजिला कलेक्टर एवं तहसीलदार बौंली की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 28.7.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर/उपजिला कलेक्टर एवं तहसीलदार बौंली के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:–

1. उपजिला कलेक्टर बौंली से बिन्दु संख्या 1 लगायत 10 तक की सूचना चाही गयी है।
2. अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय से बिन्दु संख्या 11 लगायत 13 की सूचना चाही गयी है।
3. उपजिला कलेक्टर बौंली से बिन्दु संख्या 14 लगायत 28 तक की सूचना चाही गयी है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर/उपजिला कलेक्टर एवं तहसीलदार बौंली द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर/उपजिला कलेक्टर एवं तहसीलदार बौंली को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ किन्तु जरिये डाक अपनी आपत्ति / पुनः स्मरण पत्र दिनांक 14.10.2023 से भिजवाते हुए अवगत कराया कि अपीलान्ट को किसी भी बिन्दु की पूर्ण सूचनाऐ नही मिली है। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौंली के जवाब नोटिस क्रमांक सूकाअ/2023/6285 दिनांक 23.10.2023 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 28.7.2023 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 9 व 11 मे चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक एवं विशिष्टविहिन होने से अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक नही है। शेष बिन्दु संख्या संख्या 10 की सूचना उपजिला कलेक्टर बौंली द्वारा एवं बिन्दु सख्या 12,13 की सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को निःशुल्क उपलब्ध करवायी जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक/एफ.13(2)(140)/सूकाअ/2023/2776 दिनांक 11.10.2023 [illegible] कि बिन्दु संख्या 12 व 13 की सूचना प्रभारी अधिकारी भू.अभिलेख अनुभाग [illegible] अनुभाग से संबंधित सूचना कुल 24 पृष्ठो की जरिये पत्र क्रमांक 2751 दिनांक 9.[illegible]2023 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। इसी प्रकार तहसीलदार बौंली के [illegible] दिनांक 8.11.2023 से अवगत कराया कि बिन्दु संख्या 1,4,[illegible] की कुल [illegible]0 पृष्ठों की सूचना [illegible] लिए जरिये पत्रांक/भू.अ./3310 दिनांक 22.8.2023 से अपीलान्ट को लिखा जा चुका था किन्तु अपीलान्ट द्वारा राशि जमा नही करवाने के कारण अभी तक सूचना उपलब्ध नही करवायी

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:52:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

गयी है। इस प्रकार बिन्दु संख्या 2,3,5,6,7,8,9,11, मे चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक एवं विशिष्टिविहीन होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। तथा शेष बिन्दु सं0 10 की सूचना उपजिला कलेक्टर बौंली द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी 00000000000चुकी है एवं बिन्दु संख्या 12,13 की सूचना प्र0अ0 अधिकारी सर्तकता एवं भू. अभिलेख अनुभाग से प्राप्त की जाकर लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है शेष बिन्दु संख्या 1,4,16,17,18 की सूचना कुल 750 पृष्ठों के लिए 1500/–रू शुल्क जमा नही करवाने के कारण तहसीलदार बौंली द्वारा उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 28.7.2023 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 2,3,5,6,7,8,9,11, मे चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक एवं विशिष्टिविहीन होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है तथा बिन्दु सं0 10 की सूचना उपजिला कलेक्टर बौंली द्वारा एवं बिन्दु संख्या 12,13 की सूचना , लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है शेष बिन्दु संख्या 1,4,16,17,18 की सूचना (कुल 750 पृष्ठों) के लिए अपीलान्ट द्वारा 1500/–रू शुल्क जमा नही करवाने के कारण तहसीलदार बौंली द्वारा उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः अपीलान्ट को चाहिए कि वह उक्तानुसार राशि जमा करवाकर वांछित सूचनाऐं तहसीलदार बौंली के कार्यालय से प्राप्त करे। इसके अतिरिक्त तहसीलदार बौंली को भी निर्देशित किया जाता है बिन्दु संख्या 14 व 15 की सूचना की सूचना उपलब्ध करवाये जाने के संबंध मे अपने जवाब कोई तथ्य अंकित नही किया गया है। अतः उक्त दोनो बिन्दुओ की सूचना अपीलान्ट को एक माह की अवधि मे निःशुल्क उपलब्ध करावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:52:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner